

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक: रालसा/2016/15

दिनांक 17.11.2016

प्रेषिति :-

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषय :- अवकाश के दिन लोक अदालतों के आयोजन होने पर मानदेय के भुगतान बाबत्।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 12369-12402 दिनांक 01.12.15 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांक 1.2.2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों (जिनकी प्रति सुलभ सन्दर्भ के लिये संलग्न है) के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं ताल्लुका स्तर पर राजकीय अवकाशों के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत / लोक अदालत आयोजित किये जाने पर मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निम्नांकित परिपत्र जारी किया जा रहा है:-

परिपत्र

1. लोक अदालत पीठ के अध्यक्ष/सदस्य यदि सेवारत न्यायिक अधिकारी/अन्य सेवारत अधिकारी को बनाया जावे तब उन्हें एक दिन का मूल वेतन मानदेय के रूप में दिया जावेगा।
2. सेवानिवृत्त अधिकारी को लोक अदालत पीठ का अध्यक्ष/सदस्य बनाया जाने पर उन्हें तत्समय मिल रही पेंशन के अनुसार एक दिन का मूल वेतन दिया जावेगा।
3. लोक अदालत पीठ के सदस्यों के रूप में कार्य करने वाले अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 37 के तहत प्रत्येक लोक अदालत बैठक के लिए 500 रुपये (अक्षरे पाँच सौ रुपये) मानदेय दिया जावेगा।
4. लोक अदालत वाले दिन यदि किसी अधिवक्ता काउन्सलर की सेवायें लोक अदालत की काउन्सलिंग के लिये ली

जावें तब उन्हें भी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 के विनियम 37 के अनुसार 500/- रुपये (अक्षरे पाँच सौ रुपये) मानदेय प्रत्येक लोक अदालत के लिये दिया जावेगा।

5. लोक अदालत के कार्य में ड्यूटी पर बुलाये गये स्टाफ के कर्मचारियों को एक दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिया जावेगा।
6. राजस्व न्यायालयों द्वारा भी यदि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजकीय अवकाश के दिनों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गठित लोक अदालत पीठों के माध्यम से लोक अदालत लगाये जाने पर उसके अध्यक्ष/सदस्यगण/कर्मचारीगण को भी उपरोक्तानुसार भुगतान देय होगा।
7. अवकाश के दिन आयोजित लोक अदालत के मानदेय का भुगतान धारा 4(सी) नाल्सा बजट से किया जावेगा।

उपरोक्त सभी निर्देश राजकीय अवकाश के दिन लगाई जाने वाली लोक अदालतों के लिए ही प्रभावी होंगे।

लोक अदालत पीठों की संख्या / लगाये जाने वाले मुकदमों की संख्या आदि को देखते हुए आवश्यकतानुसार ही कर्मचारीगण को लगाया जावें।

यह परिपत्र दिनांक 1.12.2015 से प्रभावी होगा।

(एस. के. जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: 16763-16772

दिनांक 18.11.2016

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर
3. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/एवं उप सचिव (एक्शन प्लान) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
4. महालेखाकार, जयपुर
5. इन्चार्ज, लेखा शाखा/स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा।

सदस्य सचिव